क्रमांक-7

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2009 (अग्रहायण 3, 1931)
विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 20 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 110 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 12 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। तथा इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर,सदस्य की खाचरौद नागदा के विद्यालयों में गणवेश की राशि का भुगतान न होने,

(2) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की राजनगर (छतरपुर) में कपिलधारा कूप में लगे मजदूरों को मजदूरी न मिलने,

(3) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की होशंगाबाद जिले के ग्राम डोलमी में क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन को न सुधारे जाने से विद्युत प्रदाय न होने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना (श्योपुर) में अवैध रूप से मेडिकल स्टोरों का संचालन होने,

(5) श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य की भोपाल के शासकीय आवासों की आवंटित राशि को बंगलों में लगाने,

(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की संचालक, किसान कल्याण द्वारा पदों की नियुक्ति में आरक्षण प्रावधानों का पालन न करने,

(7) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य की ए.पी.सी. वित्त, सर्व शिक्षा अभियान, इन्दौर में दुग्ध संघ के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने,

(8) श्री पारस दादा, सदस्य की रतलाम के जयंत विटामिंस फर्म की भूमि पर अवैध कब्जा होने,

(9) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य की छतरपुर के वन क्षेत्र के ग्राम प्रकाश बम्होरी के ग्रामीणों का नीलगायों एवं सूखे से परेशान रहने,

(10) श्री चम्पालाल देवड़ा,सदस्य की बागली (देवास) से इंदौर को जोड़ने वाले दो मार्गों का निर्माण न होने,

(11) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले की शिवना नदी पर पुल का निर्माण न होने,

(12) श्री ऐदल सिंह कंषाना,सदस्य की छतरपुर में जंगली जानवरों द्वारा फसलें नष्ट होने पर मुआवजा न देने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखे।

(2) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार,मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखे।

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने -

(क) वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन का षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2008-2009, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पेरेशन लिमिटेड का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009,
पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 26 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 8 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रणवीर सिंह जाटव, रामनिवास रावत, सदस्यगण ने बैतूल जिले की सारणी ताप विद्युत गृह में लगे श्रमिकों का आर्थिक शोषण किये जाने की ओर राज्यमंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने मंडला जिले में अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री विश्वास सारंग एवं शंकरलाल तिवारी, सदस्यगण ने सतना जिले के सीमेंट संयंत्रों में श्रमिकों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले में "गांव की बेटी" योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में न दिये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(5) श्री ध्रुव नारायण सिंह, सदस्य ने भोपाल में नवीन ए.पी.एल. राशन कार्ड न बनने से खाद्यान्न न मिलने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य ने धार जिले के पीथमपुर में औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने सतना जिले के चित्रकूट में जनभावनाओं को अनदेखा करते हुए सिविल न्यायालय खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर विधि और विधायी कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) सर्वश्री रमेश दिलीप भटेरे, रामकिशोर (नानो) कांवरे, सदस्यगण ने बालाघाट जिले में अवैध रेत का उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री, खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमं,त्री खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(9) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिले में ट्रांसफार्मर एवं खम्भे टूटे होने के कारण विद्युत संकट होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य,

(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, आरिफ अकील, सदस्य की डिण्डोरी जिले के करंजिया थाना अन्तर्गत आंदोलनकारी आदिवासियों पर गोली चालन किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(11) डॉ. कल्पना परूलेकर, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से उज्जैन से महिदपुर जा रही स्कूल बस नदी में गिरने से बच्चों की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य,

(12) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की प्रदेश के अनेक जिलों में नक्सलवादी गतिविधियां संचालित होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(13) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की ग्वालियर चंबल संभाग में स्वयं के व्यय पर विद्युत ट्रांसफार्मर न लगाये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य,

(14) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले में नाबार्ड एवं आई.सी.पी. योजना से किये जा रहे कार्य अपूर्ण होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार नगर में स्थित पेयजल टंकी क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य,

(16) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य की गुना जिले में बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत न किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री मंत्री का वक्तव्य,

(17) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा पाईप खरीदी में शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य,

(18) श्री राजवर्धन सिंह "दत्तीगांव", सदस्य की भोपाल में प्रापर्टी डीलर द्वारा बेटे सहित आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(19) श्री पारस दादा, सदस्य की रतलाम शहर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत कक्षों का निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल मंत्री का वक्तव्य,

(20) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले में निर्धारित दर से धान की खरीदी न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य,

(21) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले के चंबल नहर की मुख्य शाखा क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य,

(22) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों की दवाएें नष्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(23) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर शहर से एक छात्र का अपहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(24) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य की सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र में अतिवृष्टि से फसल नष्ट होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

(25) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की भिण्ड जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में शासन के नियमों की अवहेलना करने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास का वक्तव्य तथा

(26) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की अनूपपुर जिले में मोजर वियर कम्पनी द्वारा विद्युत ताप गृह हेतु अधिग्रहीत भूमि के भू-स्वामियों का उचित व्यवस्थापन न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

सदन में पढ़े हुए माने गए।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम पतुलिखी की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ख) मऊगंज तहसील के ग्राम- बिछरहटा की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ग) मऊगंज तहसील के ग्राम-घुरेहटा बड़ा टोला की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(घ) गंगेव विकासखंड के ग्राम गुढ़वा में नया ट्रान्सफार्मर लगाये जाने,

(ङ) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम ढ़ावा की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(च) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम बसिगडा के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(छ) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम कैलाशपुर की शा. मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ज) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम चौहना की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(झ) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम बरही की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ञ) जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम-दुवगवां की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने तथा

(ट) जनपद पंचायत बरही के ग्राम-झरी में शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. समितियों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि वर्ष 2009-2010 की अवधि के लिए गठित लोक लेखा समिति में रिक्त एक स्थान, प्राक्कलन समिति में रिक्त दो स्थान, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् उतने ही उम्मीदवार शेष हैं जितने स्थानों की पूर्ति की जाना है। अतः निम्नानुसार माननीय सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है :-

(1) लोक लेखा समिति हेतु: श्री सुरेन्द्र पटवा,

(2) प्राक्कलन समिति हेतु: श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा तथा श्री शंकरलाल तिवारी,

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति हेतु: श्री केदारनाथ शुक्ल तथा

(4) अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति हेतु: श्री लालजीराम मालवीय

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन प्राक्कलन समिति में सभापति के रिक्त स्थान पर श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

7. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्यों में प्रतिवेदनों पर चर्चा को छोड़कर समस्त कार्य एवं सदन संबंधी कार्य पूर्ण होने तक, सदन के समय में वृद्धि की गई।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 30 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 29 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 30 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

9. नियम 239 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनायें विचाराधीन है :-

(1) श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्य, विधान सभा द्वारा डॉ. श्रीमती लेखा तिवारी, चिकित्सक, शासकीय जिला चिकित्सालय, गुना के विरूद्ध,

(2) श्री नागर सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर के विरूद्ध,

(3) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य, विधान सभा द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरूद्ध,

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री आर.के. सेन (डी.एस.पी.) के विरूद्ध,

(5) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपमानजनक भाषण प्रसारित करने संबंधी "सिटी केबल, उज्जैन" के विरूद्ध,

(6) श्री संजय पाठक, सदस्य, विधान सभा द्वारा कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध,

(7) श्री राम प्यारे कुलस्ते, सदस्य, विधान सभा द्वारा एक अधिकारी के विरूद्ध तथा

(8) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष एवं कई माननीय सदस्यगण, विधान सभा द्वारा "बिच्छु डॉट कॉम" पाक्षिक समाचार-पत्र के संपादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं संवाददाता के विरूद्ध।

10. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किये गये:-

"तेरहवीं विधान सभा का यह चौथा सत्र अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। नौ दिवसीय इस सत्र में सात बैठकें सम्पन्न हुई और वित्तीय, विधायी और लोक महत्व के अनेक कार्य संपादित हुए। इस सत्र में प्रश्नों की कुल 2685 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 1628 तारांकित एवं 1057 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की 54 सूचनाएं ग्राह्य कर सदन में प्रस्तुत हुई। सदन में 2 अशासकीय संकल्प पारित हुए। नियम 139 के तहत 2 महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा हुई। सदन ने वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक बजट को अपनी स्वीकृति प्रदान की वही 13 शासकीय विधेयक पारित हुए।

संसदीय शासन प्रणाली में सदनों और सदस्यों की उपादेयता इसी बात में निहित है कि वे समवेत रूप से सबके कल्याण और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में अपनी भूमिका का सार्थक और प्रभावी ढंग से निर्वहन करें। पीठासीन अधिकारी होने के नाते मैं बहुत खुशी और संतोष का अनुभव करता हूँ कि इस विधान सभा के अतीत और वर्तमान के सदस्य जनभावनाओं को वाणी देने, कठिनाइयों को दूर करने तथा लोगों और प्रदेश के विकास के लिए सदैव सजग, मुखर एवं संवेदनशील रहे हैं। पक्ष-विपक्ष में मतभेद होना स्वाभाविक है किंतु हमारे यहां मनभेद को कभी प्रश्रय नहीं मिला। शायद यही कारण है कि परस्पर संवाद, सहयोग, सौमनस्य, सम्मान, सौहार्द्र, मर्यादा एवं शिष्टाचार का जो भाव यहां दिखता है वह इस विधान सभा को एक अलग ही गरिमा प्रदान करता है। मेरी यही कामना है कि यह वातावरण हमेशा बना रहे और हम सब एक श्रेष्ठ संसदीय संस्कृति स्थापित करने में अग्रणी बने।

सत्र संचालन में सहयोग के लिए मैं माननीय सदन के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रीगण एवं सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े महानुभावों को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं विधान सभा सचिवालय और शासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे। आने वाले ईदुज्जुहा, क्रिसमस एवं नए वर्ष की मैं आपको तथा प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही उनके तथा प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी उद्देश्य से हम, आप सबको यहां जनता ने चुनकर भेजा हैं तथा आप सब की लगन से हम इसमें सफल होंगे, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुनादेवी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष तथा श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने भी समापन अवसर पर विचार व्यक्त किए।

11. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **''जन-गण-मन''** का समूह गान किया गया।

अपराह्न 1.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.